GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 93*
TO BE ANSWERED ON 04.12.2024

INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)

*93. SMT. MAUSAM B NOOR:

Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state:

(a) the details of funds allocated under the Integrated Child Protection Scheme (ICPS) during the last three years, year-wise, State-wise;
(b) the number of children benefited under the ICPS during the said period especially in the State of West Bengal, district-wise, year-wise;
(c) whether Government has conducted any assessment regarding the effectiveness of ICPS in providing a safe and protective environment for children, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(d) whether any initiative has been undertaken to strengthen the implementation of ICPS and address the challenges faced in its execution, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(SHRIMATI ANNPURNA DEVI)

(a) to (d) : A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.93 FOR ANSWER ON 04.12.2024 RAISED BY SMT. MAUSAM B NOOR REGARDING INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)

(a): The Ministry of Women and Child Development is administering The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (JJ Act, 2015) which is the primary legislation for ensuring the safety, care, security, dignity and well-being of children. Under this, the Ministry of Women and Child Development is implementing a Centrally Sponsored Scheme namely 'Mission Vatsalya' (erstwhile Integrated Child Protection Services (ICPS) Scheme) to support the State Governments and Union Territories to deliver appropriate services for Children in Need of Care and Protection (CNCP) as well as Children in Conflict with Law (CCL).

During the last three years' period, State-wise and year-wise details of funds released under the Mission Vatsalya Scheme are at **Annexure-I**.

(b): The State-wise number of children benefited under the Mission Vatsalya Scheme during the last three years' period including the State of West Bengal is at **Annexure-II**. The district-wise information regarding children benefitted under Mission Vatsalya Scheme is not maintained centrally.

(c): National Institution for Transforming India (NITI) Aayog in 2020 conducted an evaluation study for all Schemes of the Ministry of Women and Child Development (WCD) including the erstwhile Integrated Child Protection Services (ICPS) Scheme. The Study captured the broader canvas of effectiveness, efficiency, impact etc. of the schemes of the Ministry. It was conducted across 12 States/UTs.

The findings of the Study, *inter-alia,* mention that the (erstwhile) ICPS scheme was being implemented in accordance with the provisions envisaged under the JJ Act, 2015 and contributed for improvement in the delivery of the statutory services. It mentioned about the cost norms and focus areas of the Scheme and emphasized upon requirements of training and capacity building of all the functionaries/ duty holders.

(d): The Ministry constantly engages with the States/ UTs from time to time for the implementation of the Mission Vatsalya Schemes. It has issued various advisories and held Zonal Conferences and Sensitization/ Dissemination Workshops under the Scheme for supporting on ground implementation.

The Ministry has issued revised Model Foster Care Guidelines, 2024 to the States/ UTs to ensure clarity, efficiency and compliance amongst stakeholders about Foster Care.

Initiatives taken under the Mission Vatsalya Scheme include collaboration with National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS), Bangaluru under "SAMVAD" (Support Advocacy & Mental Health Interventions for Children in Vulnerable Circumstances and Distress). SAMVAD works in areas of Mental Health, Care & Protection, Education and Policy & Law. Various training and capacity building programmes have been conducted for child protection functionaries and other stakeholders across the States/ UTs.

Also, the Ministry in collaboration with the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie has developed an online training module on the Juvenile Justice (Care and Protection for Children) Act, 2015 for capacity building of multiple stakeholders such as State Governments/ UT Administrations, district authorities and others.

*****

ANNEXURE- I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.93 FOR ANSWER ON 04.12.2024 RAISED BY SMT. MAUSAM B NOOR REGARDING INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)

STATE-WISE AND YEAR-WISE DETAILS OF FUNDS RELEASED UNDER THE MISSION VATSALYA SCHEME DURING THE LAST YEARS (2021-22, 2022-23 & 2023-24)

(Rupees in Crores)

Sl. No.	Name of the State	Financial Year		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	4.76	36.78	25.01
2	Arunachal Pradesh	4.88	29.36	24.35
3	Assam	8.65	37.35	59.66
4	Bihar	22.03	34.54	65.18
5	Chhattisgarh	18.70	7.65	44.66
6	Goa	0.03	0.06	0.00
7	Gujarat	6.97	23.30	47.10
8	Haryana	9.31	29.39	16.17
9	Himachal Pradesh	14.54	30.92	21.15
10	Jammu & Kashmir	19.30	28.23	43.64
11	Jharkhand	12.48	7.43	37.66
12	Karnataka	42.52	58.57	90.94
13	Kerala	6.07	12.85	22.27
14	Madhya Pradesh	30.57	46.91	60.85
15	Maharashtra	54.67	71.33	95.38
16	Manipur	36.07	48.27	29.24
17	Meghalaya	10.06	3.33	31.28
18	Mizoram	19.58	15.03	53.09
19	Nagaland	18.43	26.31	29.28
20	Orissa	40.19	37.55	60.28
21	Punjab	1.73	10.69	15.44
22	Rajasthan	15.43	66.00	42.84
23	Sikkim	8.08	10.47	5.80
24	Tamil Nadu	76.70	51.03	128.70
25	Telangana	38.51	28.25	39.98
26	Tripura	9.77	1.60	32.09
27	Uttar Pradesh	45.54	66.05	103.57
28	Uttarakhand	5.08	3.66	32.63
29	West Bengal	39.70	26.64	57.42
30	Andaman & Nicobar Islands	0.08	3.75	2.68
31	Chandigarh	1.63	5.24	5.83
32	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1.43	3.90	3.19
33	Delhi	7.95	15.07	3.89
34	Lakshadweep	0.05	0.00	0.36
35	Ladakh	1.26	1.42	4.39
36	Puducherry	2.72	5.84	5.67
Total		**635.46**	**884.76**	**1341.68**

ANNEXURE- II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.93 FOR ANSWER ON 04.12.2024 RAISED BY SMT. MAUSAM B NOOR REGARDING INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)

I(A). STATE-WISE NUMBER OF CHILDREN SUPPORTED UNDER MISSION VATSALYA SCHEME IN THE CHILD CARE INSTITUTIONS DURING THE LAST THREE YEARS

S. No.	State	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	3069	1504	1546
2	Arunachal Pradesh	147	206	206
3	Assam	1378	1380	1241
4	Bihar	2372	2088	2227
5	Chhattisgarh	2167	1974	1843
6	Goa	685	526	461
7	Gujarat	1299	1651	3195
8	Haryana	1786	1239	963
9	Himachal Pradesh	1147	805	926
10	Jammu and Kashmir	579	817	1104
11	Jharkhand	1537	1219	1238
12	Karnataka	3974	3182	3110
13	Kerala	1380	697	776
14	Madhya Pradesh	2982	2292	2597
15	Maharashtra	3468	3654	3495
16	Manipur	1980	2121	2295
17	Meghalaya	915	972	1031
18	Mizoram	776	914	1172
19	Nagaland	597	493	562
20	Orissa	7077	4153	4431
21	Punjab	685	607	533
22	Rajasthan	3670	2560	2733
23	Sikkim	534	526	468
24	Tamil Nadu	13877	7785	10118
25	Telangana	2822	1129	2243
26	Tripura	875	829	948
27	Uttar Pradesh	4722	3238	3226
28	Uttarakhand	457	700	589
29	**West Bengal**	**6494**	**6220**	**4744**
30	Andaman & Nicobar Islands	301	308	274
31	Chandigarh	153	202	222
32	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	5	28	36
33	Ladakh	0	25	84
34	Lakshadweep	0	0	0
35	Delhi	1835	1206	1216
36	Puducherry	373	690	739
Total		**76118**	**57940**	**62592**

ANNEXURE- II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.93 FOR ANSWER ON 04.12.2024 RAISED BY SMT. MAUSAM B NOOR REGARDING INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS)

I(B). STATE-WISE NUMBER OF CHILDREN SUPPORTED UNDER MISSION VATSALYA SCHEME IN NON-INSTITUTIONAL CARE DURING THE LAST THREE YEARS

Sl. No.	States/UTs	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	144	9150	10000
2	Arunachal Pradesh	318	840	1719
3	Assam	434	858	1919
4	Bihar	1,646	504	4001
5	Chhattisgarh	1,250	288	1137
6	Goa	13	27	62
7	Gujarat	1,438	506	450
8	Haryana	1,042	5155	643
9	Himachal Pradesh	563	1347	1352
10	Jammu & Kashmir	979	1398	4024
11	Jharkhand	1,125	3086	4629
12	Karnataka	1,375	3875	12449
13	Kerala	323	1133	1455
14	Madhya Pradesh	2,188	2377	13715
15	Maharashtra	1,688	9844	21680
16	Manipur	729	1120	1288
17	Meghalaya	490	1028	1083
18	Mizoram	396	591	1516
19	Nagaland	521	752	779
20	Odisha	1,375	1772	3697
21	Punjab	263	612	4150
22	Rajasthan	1,438	239	933
23	Sikkim	188	323	460
24	Tamil Nadu	1,521	2975	5411
25	Telangana	1,563	6454	4858
26	Tripura	365	305	1373
27	Uttar Pradesh	3,313	1766	10000
28	Uttarakhand	573	847	1817
29	West Bengal	1,083	1670	2750
30	Andaman & Nicobar Islands	52	0	1
31	Chandigarh	67	199	309
32	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	156	519	984
33	Ladakh	0	29	411
34	Lakshadweep	0	0	0
35	Delhi	521	980	635
36	Puducherry	198	106	171
Total		**29331**	**62675**	**121861**

*****

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 93*

दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)

***93. श्रीमती मौसम बी नूर:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य में आईसीपीएस के अंतर्गत लाभान्वित हुए बच्चों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित परिवेश प्रदान करने में आईसीपीएस की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आईसीपीएस के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और इसके निष्पादन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

“एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)” के संबंध में श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (वर्ष 2021 में यथासंशोधित) कार्यान्वित कर रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा,संरक्षा,गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) एवं कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सहायता प्रदान करने के लिए ‘मिशन वात्सल्य’ (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं(आईसीपीएस) योजना) नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सहित मिशन वात्सल्य योजना के तहत लाभान्वित बच्चों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत लाभान्वित बच्चों की जिलेवार जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग): राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग ने वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण सेवा (आईसीपीएस) योजना सहित महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) की सभी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया। इस अध्ययन ने मंत्रालय की योजनाओं में प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव इत्यादि व्यापक परिदृश्य (कैनवास) को शामिल किया गया । यह अध्ययन 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।

इस अध्ययन के निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि (पूर्ववर्ती) आईसीपीएस योजना जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिकल्पित प्रावधानों के अनुरूप थी और इसने योजना के तहत वैधानिक सेवा प्रदायगी संरचनाओं में सुधार में योगदान दिया। इसमें इस योजना के लागत मानदंडों और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में उल्लेख

किया गया एवं सभी कार्मिकों/कर्तव्यधारकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया।

(घ): मंत्रालय मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहता है। इसने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न परामर्श जारी किए हैं और क्षेत्रीय सम्मेलन एवं संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

मंत्रालय ने पालन-पोषण देखरेख के बारे में हितधारकों के बीच स्पष्टता, दक्षता और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित मॉडल पालन-पोषण देखरेख दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहलों में "संवाद" (संवेदनशील परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए एडवोकेसी तथा मानसिक स्वास्थ्य पहल सहायता) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बंगलुरु के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा तथा नीति एवं कानून के क्षेत्रों में कार्य करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्मिकों और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

साथ ही मंत्रालय ने लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, जिला प्राधिकरणों और अन्य जैसे अनेक हितधारकों की क्षमता निर्माण किया जा सके।

******

अनुलग्नक-I

"एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)" के संबंध में श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्रम सं	राज्य का नाम	वित्त वर्ष		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4.76	36.78	25.01
2	अरुणाचल प्रदेश	4.88	29.36	24.35
3	असम	8.65	37.35	59.66
4	बिहार	22.03	34.54	65.18
5	छत्तीसगढ़	18.70	7.65	44.66
6	गोवा	0.03	0.06	0.00
7	गुजरात	6.97	23.30	47.10
8	हरियाणा	9.31	29.39	16.17
9	हिमाचल प्रदेश	14.54	30.92	21.15
10	जम्मू एवं कश्मीर	19.30	28.23	43.64
11	झारखंड	12.48	7.43	37.66
12	कर्नाटक	42.52	58.57	90.94
13	केरल	6.07	12.85	22.27
14	मध्य प्रदेश	30.57	46.91	60.85
15	महाराष्ट्र	54.67	71.33	95.38
16	मणिपुर	36.07	48.27	29.24
17	मेघालय	10.06	3.33	31.28
18	मिजोरम	19.58	15.03	53.09
19	नागालैंड	18.43	26.31	29.28
20	उड़ीसा	40.19	37.55	60.28
21	पंजाब	1.73	10.69	15.44
22	राजस्थान	15.43	66.00	42.84
23	सिक्किम	8.08	10.47	5.80
24	तमिलनाडु	76.70	51.03	128.70
25	तेलंगाना	38.51	28.25	39.98

26	त्रिपुरा	9.77	1.60	32.09
27	उत्तर प्रदेश	45.54	66.05	103.57
28	उत्तराखंड	5.08	3.66	32.63
29	पश्चिम बंगाल	39.70	26.64	57.42
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.08	3.75	2.68
31	चंडीगढ़	1.63	5.24	5.83
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.43	3.90	3.19
33	दिल्ली	7.95	15.07	3.89
34	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.36
35	लद्दाख	1.26	1.42	4.39
36	पुदुचेरी	2.72	5.84	5.67
कुल		**635.46**	**884.76**	**1341.68**

अनुलग्नक-II

"एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)" के संबंध में श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

।(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल देखरेख संस्थानों में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्यवार संख्या

क्रम सं	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	3069	1504	1546
2	अरुणाचल प्रदेश	147	206	206
3	असम	1378	1380	1241
4	बिहार	2372	2088	2227
5	छत्तीसगढ़	2167	1974	1843
6	गोवा	685	526	461
7	गुजरात	1299	1651	3195
8	हरियाणा	1786	1239	963
9	हिमाचल प्रदेश	1147	805	926
10	जम्मू और कश्मीर	579	817	1104
11	झारखंड	1537	1219	1238
12	कर्नाटक	3974	3182	3110
13	केरल	1380	697	776
14	मध्य प्रदेश	2982	2292	2597
15	महाराष्ट्र	3468	3654	3495
16	मणिपुर	1980	2121	2295
17	मेघालय	915	972	1031
18	मिजोरम	776	914	1172
19	नागालैंड	597	493	562
20	उड़ीसा	7077	4153	4431
21	पंजाब	685	607	533
22	राजस्थान	3670	2560	2733
23	सिक्किम	534	526	468
24	तमिलनाडु	13877	7785	10118
25	तेलंगाना	2822	1129	2243
26	त्रिपुरा	875	829	948

27	उत्तर प्रदेश	4722	3238	3226
28	उत्तराखंड	457	700	589
29	पश्चिम बंगाल	**6494**	**6220**	**4744**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	301	308	274
31	चंडीगढ़	153	202	222
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5	28	36
33	लद्दाख	0	25	84
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	दिल्ली	1835	1206	1216
36	पुदुचेरी	373	690	739
कुल		**76118**	**57940**	**62592**

अनुलग्नक-II

"एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)" के संबंध में श्रीमती मौसम बी नूर द्वारा दिनांक 04.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

I(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-संस्थागत देखरेख संस्थानों में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्यवार संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	144	9150	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	318	840	1719
3	असम	434	858	1919
4	बिहार	1,646	504	4001
5	छत्तीसगढ़	1,250	288	1137
6	गोवा	13	27	62
7	गुजरात	1,438	506	450
8	हरियाणा	1,042	5155	643
9	हिमाचल प्रदेश	563	1347	1352
10	जम्मू एवं कश्मीर	979	1398	4024
11	झारखंड	1,125	3086	4629
12	कर्नाटक	1,375	3875	12449
13	केरल	323	1133	1455
14	मध्य प्रदेश	2,188	2377	13715
15	महाराष्ट्र	1,688	9844	21680
16	मणिपुर	729	1120	1288
17	मेघालय	490	1028	1083
18	मिजोरम	396	591	1516
19	नागालैंड	521	752	779
20	ओडिशा	1,375	1772	3697
21	पंजाब	263	612	4150
22	राजस्थान	1,438	239	933
23	सिक्किम	188	323	460
24	तमिलनाडु	1,521	2975	5411
25	तेलंगाना	1,563	6454	4858
26	त्रिपुरा	365	305	1373

27	उत्तर प्रदेश	3,313	1766	10000
28	उत्तराखंड	573	847	1817
29	पश्चिम बंगाल	**1,083**	**1670**	**2750**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52	0	1
31	चंडीगढ़	67	199	309
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	156	519	984
33	लद्दाख	0	29	411
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	दिल्ली	521	980	635
36	पुदुचेरी	198	106	171
कुल		**29331**	**62675**	**121861**

******

SHRIMATI MAUSAM B. NOOR: Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Government can inform if the children of parents incarcerating in jails and institutions are covered under the Integrated Child Protection Scheme (ICPS). If yes, details of children beneficiaries may be given. If no, whether the Government aims to extend the coverage of the Scheme to children of incarcerated parents?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उनके लिए ऐसा संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालीन इकोसिस्टम स्थापित करना है, जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके। माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि हम निश्चित रूप से वैसे बच्चों को भी कवर करते हैं और हम उनको भी हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

SHRIMATI MAUSAM B. NOOR: Sir, whether the Government can provide information regarding the religious background of children who have benefited from the programmes being run under ICPS, especially the share of children belonging to the minority communities.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः कोई बच्चा पीछे न छूटे इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम योजना बनाते हैं। इस योजना के माध्यम से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है और हम इसमें बच्चों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं देखते हैं। जो भी छोटे बच्चे हैं और जिनको मदद की आवश्यकता है, हम उनकी मदद करते हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरीः इस सवाल में पूछा गया है कि आईसीपीएस को strengthen करने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? खास तौर पर आप देखते रहिए कि जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, उनके आंकड़े साल भर में बढ़ते जाते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपके हाथ में कोई सबूत है, जिसको देखते हुए आप इसको कंट्रोल कर सकें? अपने बच्चे विदेशों में भी बिक जाते हैं। ये मिसिंग बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में यहां से हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने इस संबंध में कौन से कदम उठाए हैं? Do you work dovetailing with the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)? इसमें उनका हक भी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप ये दोनों समस्याएं कैसे हल कर रहे हैं?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने मिसिंग बच्चों और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पूछा है। हर जिले में Anti-Human Trafficking Unit (AHTU) के माध्यम से इसकी देख-रेख होती है और उसी के माध्यम से उसकी सूचना मिलती है। उसमें 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से भी कोई भी सूचित करता है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम मात्र 20 मिनट का होता है। हम लगभग 20 मिनट के अंदर उनके लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, वे दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम जो संकटग्रस्त बच्चे हैं, जिनकी सूचना हमें मिलती है, उनको लेकर नियमित काम करते हैं। जिले में सीडब्ल्यूसी के माध्यम से भी कार्य किए जाते हैं। उसके साथ-साथ जे.जे. एक्ट के माध्यम से, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसमें कार्य बंटे हुए हैं। मैं बताना चाहती हूं कि नियमित रूप से वैसे बच्चों की जानकारी मिलने के बाद हम उस पर कार्रवाई करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary - Shri Samik Bhattacharya.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, I want to know from the hon. Minister as to how the Integrated Child Protection Scheme is being utilised to rescue and rehabilitate the children involved in begging, particularly in the urban areas and the transit hubs.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : सभापति महोदय, बच्चों की देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। CCIs, हमारे बच्चों के लिए जो special homes हैं, उनके माध्यम से और उनके अलावा जो Open Shelter Homes बनाए गए हैं, उनके माध्यम से वैसे बच्चे, जो सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, वैसे बच्चों की देखरेख उन Open Shelter Homes के माध्यम से की जाती है। इसके साथ ही साथ, उनमें चाहे काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उनको भोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की हर सुविधाएँ दी जाती हैं तथा उनमें पुनर्वास की सुविधाएँ भी दी जाती हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary - Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Sir, my humble question to the hon. Minister is whether the Union Government has consulted with the concerned Ministries of the State Governments for the implementation and development of the Integrated Child Protection Scheme (ICPS), not only in West Bengal but also all over the country, in recent phases or in the last few years, or it has taken any update from the concerned State Governments, considering and giving respect to the Union Government and State Governments, keeping in line with the federalism of our country as per the Constitution, as almost in every scheme, the Union Government and State Government's financial share is also 60 per cent and 40 per cent respectively.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः सभापति महोदय, हमेशा भारत सरकार जब कोई भी योजना चलाती है, तो उस पर राज्यों से परामर्श भी होता है और जब PAB की मीटिंग होती है, तो उस PAB की बैठक में राज्य सरकार अपनी योजना को लाती है और उसके बाद हम उसका approval देते हैं। जहां तक पश्चिमी बंगाल की बात है, मैं माननीया सदस्या को यह कहना चाहूंगी कि पश्चिमी बंगाल में मिशन वात्सल्य के तहत अभी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर हम इसके तहत देखें, तो चूंकि फंड भारत सरकार रिलीज करती है, लेकिन उस फंड का utilization नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं योजनाएं बाधित होती हैं और बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

अगर हम इसके तहत देखें, तो पश्चिमी बंगाल में अभी unspent balance के रूप में लगभग 1,800 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आज जो योजनाएं हैं, जिनका फंड हम रिलीज भी करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं हो पाता है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पैसा भारत सरकार देती है, वह उस पैसे का सही और समय पर उपयोग करे, लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार कहीं न कहीं इस मामले में पीछे रह रही है, जिसकी वजह से बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ...(**व्यवधान**)... बच्चों को जो सुविधाएं भारत सरकार देती है, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ...(**व्यवधान**)... उस लक्ष्य में हम कहीं न कहीं पीछे रहते हैं। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No.94 - Shri Golla Baburao*...(Interruptions)...*Please, nothing is going on record. *...(Interruptions)...* आपस में बात न करें, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... Shri Golla Baburao, please put the first supplementary.